fssai भारतीय खाद्य सुरक्षा और
मानक प्राधिकरण
विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक खाद्य के आश्वासक

प्रेस विज्ञप्ति

खाद्य तेल उद्योग द्वारा पौष्टिकीकरण को बड़ा बल

नई दिल्ली, 21 मार्च 2017: खाद्य तेल के सभी बड़े निर्माण और प्रसंस्करण क्षेत्रों ने खाद्य तेल को अगले तीन महीनों में विटामिन 'ए' और 'डी' से पौष्टित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय हाल ही में एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बैठक का परिणाम है। खाद्य तेल उद्योग के भागीदारों; उद्योग के संगठनों; एकेडेमिया और विकास क्षेत्र से 130 से अधिक व्यक्तियों ने इस बैठक में भाग लिया। इनमें से 85% व्यक्ति खाद्य तेल उद्योग और इसके संगठनों से थे। विचार-विमर्श के दौरान पतंजलि सहित उद्योग के भागीदारों ने अपनी ''औद्योगिक नीति'' के रूप में अपने सभी प्रकार के खाद्य तेलों को पौष्टित करने और यह पौष्टिकीकरण 8 से 12 सप्ताह में करना आरंभ करने का संकल्प लिया।

राष्ट्रीय पोषण संस्थान्, भारत सरकार के अनुसार भारत की आबादी में सभी सामाजार्थिक श्रेणियों के लगभग 50 से 90% लोगों में विटामिन 'ए' और 'डी' की भारी कमी है। भारत में खाद्य तेल की खपत पर्याप्त मात्रा में होती है, जो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 12 से 18 किग्रा के बीच है। इस कारण खाद्य तेल का विटामिन 'ए' और 'डी' से पौष्टिकीकरण इस समस्या का सर्वाधिक व्यावहारिक और लागत प्रभावी उपाय है। इस मांग को देश में 217.09 लाख टन खाद्य तेल की पूर्ति करके की जाती है, जिसमें खाद्य तेलों का 127.31 लाख टन आयात भी शामिल है।

बैठक के दौरान खाद्य तेल के पौष्टिकीकरण से संबंधित तकनीकी मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की गई। इससे इस अभियान के लिए सहायक वातावरण बनने में सहायता मिली, जिससे उद्योग को अपनी कारोबार रीतियाँ सुधारने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, खुले खाद्य तेल की बिक्री संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई और उद्योग को खाद्य तेल के छोटे पैक बनाने पर सलाह दी गई, जिससे तेल के बड़े पैक खरीदने की सामर्थ्य की समस्या का समाधान हो सके और अच्छे खाद्य तेल की बिक्री

उपभोक्ता-प्रिय रूप में हो सके। बैठक में भागीदारों ने उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के अभियान को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें पौष्टित खाद्यों में पोषण के बेहतर स्तर के प्रतीक पौष्टित खाद्य के राष्ट्रीय चिह्न का बढ़ावा भी शामिल है।

राष्ट्र के लोगों का स्वास्थ्य सर्वोपरि होने के कारण एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य तेलों के विटामिन 'ए' और 'डी' से पौष्टिकीकरण के मानक तैयार किए हैं और विनियम बनाए हैं, जिनमें खुले खाद्य तेल की बिक्री प्रतिबंधित है। खाद्य सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य का संवर्धन जन स्वास्थ्य का हस्तक्षेप करना होता है। इस कारण इस बैठक से मध्यम तथा लघु उद्योग के भागीदारों सहित सरकारी और निजी क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों को इस बारे में सोचने और सरकारी-निजी भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए कार्य करने का अवसर मिला है।

राजस्थान और गुजरात राज्यों की सरकारों की पहल पर इन राज्यों में संपूर्ण खाद्य तेल उद्योग पहले ही पौष्टित खाद्य तेल की बिक्री कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश इत्यादि कई राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने पी.डी.एस, आई.सी.डी.एस और एम.डी.एम आदि सार्वजनिक वित्तपोषण कार्यक्रमों के माध्यम से पौष्टित खाद्य तेल को उपलब्ध कराना आरंभ कर दिया है।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने कहा कि *"खाद्य पौष्टिकीकरण से विभिन्न खाद्य वस्तुओं का पौषण मान बढ़ने की प्रबल संभावनाएँ हैं। खाद्य वस्तुओं का पौष्टिकीकरण आरंभ करने के लिए खाद्य उद्योग की ऐसी रुचि और प्रतिबद्धता से बहुत बल मिलता है। इससे वास्तव में भारत को अमीर-गरीब दोनों श्रेणियों के लोगों सहित लाखों लोगों का पौषणिक स्तर बढ़ाने में सहायता मिलेगी।"*

खाद्य तेल के प्रसंस्कर्ताओं ने तेलों के छोटे पैक बनाने का निर्णय भी लिया, जिससे देश में खुले तेल की बिक्री पर प्रतिबंध को प्रभावी बनाया जा सके। तेल प्रसंस्कर्ताओं ने खाद्य तेल के बार-बार प्रयोग के प्रति और एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अंतिमित किए जा रहे टोटल पोलर यौगिकों (टी.पी.सी) के मानकों के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्णय लिया।